



आर.ई.ओ.-120

जोधपुर  
विद्युत वितरण  
निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर-342 003 फोन नं० 0291 2651227 (का) फेक्स नं० 2651313

कमांक- प्रनि/जोविनिनि/अनु-पीपीएम/पत्रा०सामान्य / प्रे०सं० 391 426 जोधपुर दिनांक 20/5/06.

## आदेश

विषय:- तुरन्त प्राथमिकता के कृषि विद्युत कनेक्शन आवेदकों के मॉग पत्र जारी करने पर प्रभावी रोक हटाने के सम्बन्ध में।


\*\*\*\*

राज्य में कृषि कनेक्शन जारी करने हेतु मॉग पत्र राशि जमा आवेदकों की अधिक लम्बित संख्या तथा जो मॉग पत्र जिनके मॉग पत्र की राशि जमा नहीं थी, की अत्यधिक संख्या के मद्देनजर निगम के आदेश क्रमांक जोविनिनि/प्रनि/अनु.तक/पत्र /प्रे.400 दिनांक 21.12.05 के द्वारा सभी कृषि श्रेणियों के आवेदन पत्रों को मॉ पत्र जारी करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था।

इस सम्बन्ध में रामन्वय समिति की दिनांक 20/24 अप्रैल 2006 को आयोजित 93 वीं बैठक में यह निर्णय लि गया कि अनुसूचित जाति, राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र के किशनगंज व शाहबाद पंचाय समिति के ग्रामों के अनुसूचित जनजाति, 1962, 1965 व 1971 के युद्धों में कारगिल द्रास व अन्य क्षेत्रों में तथा स कार्यवाही व आतंकवादी गतिविधियों के शहीद परिवार, परमवीर/महावीर चक्र से अलंकृत सैनिकों के नाम, पूरे स जल व वायु सेनाध्यक्ष जिनको परम विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत किया गया हो, सामुदायिक / सामूहिक लि सिंवाई योजना के कृषि विद्युत कनेक्शन वर्तमान में प्रचलित कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 18.09.04) अनुसार ही किये जायें व उक्त श्रेणी के लम्बित डिमाण्ड नोट जारी कर दिये जायें।

अधीक्षण अभियन्ता सामान की उपलब्धता के अनुसार यह सुनिश्चित करेंगे कि उतनी ही संख्या में मॉग पत्र जारी जावें जिससे कि मॉग पत्र राशि जमा होने पर आवेदक को तीन माह में कनेक्शन जारी किया जा सकें।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे

  
[एच एस. देवडा]  
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम.)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

जयप्रकाश/आरसी थानवी आरईओ 120

समाप्त